न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– सत्यनारायण आमेटा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 22/2015

तारीख दायरा–11.05.2015

तारीख निर्णय–27.05.2016

1. श्री कालुलाल पिता डालु जी मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।

.......वादी

बनाम

1. श्री लक्ष्मणलाल पिता चुना मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
2. श्री किशनलाल पिता चुना मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
3. श्री रोशनलाल पिता चुना मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
4. श्री गणपत पिता चुना मेधवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
5. श्रीमती भंवरीबाई पिता चुना मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
6. श्रीमती गुलाबीबाई पत्नी चुना मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
7. श्री राहुल पिता अशोक मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
8. श्रीमती नेहा पिता अशोक मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
9. श्रीमती मंजुबाई बेवा अशोक जी मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
10. श्री दिनेश पिता कना मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
11. श्री राजु पिता कना मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
12. श्रीमती गीताबाई बेवा कना मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
13. श्री दीपक पिता मगनीराम मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
14. श्री हीना पिता मगनीराम मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
15. श्रीमती गोपीबाई बेवा श्री मगनीराम मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
16. श्री भेरा पिता रोडा मेघवाल निवासी जिरई तहसील गोगुन्दा।
17. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री गिरिजा शंकर मेहता

प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा जिरई पटवार क्षेत्र मजावद तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2068 उसे 71 के खाता

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

संख्या 8 में वर्णित आराजियात किता 35 3.2900 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है, परन्तु भूमि का रेकार्ड में विधिवत विभाजन नही होने से आये दिन लडाई झगडा होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विधिवत विभाजन हेतु निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा भूमि के विभाजन में कोई तत्परता नही दिखाई। इसलिये वादी माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित किया जाना आवश्यक होने से वादी द्वारा वाद पेश किया जा रहा है। अतः निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कराया जाकर भूमि अलग–अलग खाते दर्ज करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन चाहता है। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण को भी भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया'है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा जिरई पटवार मण्ड़ल मजावद की आराजी नम्बर 80 रकबा 0.0350, 81/1 रकबा 0.0550, 120 रकबा 0.1050, 122/1 रकबा 0.0750, 123 रकबा 0.0400, 316 रकबा 0.1300, 319 रकबा 0.1050, 322 रकबा 0.0250, 342 रकबा 0.0450, 366 रकबा 0.0250, 368 रकबा 0.0400, 371 रकबा 0.1250, 472 रकबा 0.0650,

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

474 रकबा 0.0750, 487 रकबा 0.0700 किता 15 कुल रकबा 1.0150 है0 भूमि का कना पिता वाला, कालु पिता डालु मेघवाल, आराजी नम्बर 73 रकबा 0.0750, 79 रकबा 0.0450, 81 मी. रकबा 0.0600, 122 मी. रकबा 0.0100, 124 रकबा 0.0850, 314 रकबा 0.0950, 315 रकबा 0.0650, 317 रकबा 0.0500, 318 रकबा 0.0500, 343 रकबा 0.0150, 346 रकबा 0.0300, 353 रकबा 0.1500, 365 रकबा 0.0250, 367 रकबा 0.0400, 369 रकबा 0.0500, 370 रकबा 0.0850, 473 रकबा 0.0750, 475 रकबा 0.0700, 488 रकबा 0.0750 किता 19 कुल रकबा 1.1500 है0 भूमि का मगनीराम पिता हमेरा 1/5, भेरा भीमा, सरूपा पिता रोडा 3/5, लक्ष्मण, किशन, रोशन, गणपत, भमरी पिता चुन्नीलाल 5/35, राहुल, नेहा पिता अशोक, मंजु बेवा अशोक 1/35 गुलाबीबाई बेवा चुन्नीलाल 1/35 को खातेदार घोषित किया जाता है एवं आराजी नम्बर 312 रकबा 0.7400, 313 रकबा 0.0400, 392 रकबा 0.3450 किता 3 कुल रकबा 1.1250 है0 भूमि कना पिता वाला, कालु पिता डालु 1/2, मगनीराम पिता हमेरा 1/10, भेरा, भीमा, सरूपा पिता रोडा 3/10, लक्ष्मण, किशन, रोशन, गणपत, भमरी पिता चुन्नीलाल, गुलाबीबाई बेवा चुन्नीलाल 6/70, राहुल, नेहा, पिता अशोक, मंजु बेवा अशोक 1/70 के संयुक्त खातेदारी मे रखी जाती है। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर